पत्र संख्या –26/विविध–06–01/2025–.................................../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा प्रक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा दलसिंहसराय के अधीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02SBD/2024-25 एवं 01F2/2024-25 की निविदा में संवदेक YRBM & SONS,Pro.- SRI ABHISHEK KUMAR SINGH NAVRATAN HATTA, P.O+DIST- PURNIA, PIN-854301 भी एक निविदादाता थे।

संवेदक के विरूद्ध निविदा के साथ संलग्न कार्यानुभव प्रमाण पत्र के फर्जी/जाली होने के आरोप में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा के पत्रांक–2697 दिनांक–07.12.2024 से संवेदक को काली–सूची में डाले जाने निमित्त अनुशंसा प्राप्त हुई। प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–2459 दिनांक–02.06.2025 द्वारा संवेदक से कारण–पृच्छा किया गया। कारण पृच्छा का जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः विभागीय पत्रांक–2967 दिनांक–01.07.2025 द्वारा उन्हें जवाब देने हेतु निदेशित किया गया। तदालोक में संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–07.07.2025 द्वारा कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

संवेदक से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर मामले की सम्यक् समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि निविदा के साथ संलग्न कार्यानुभव प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, L.A.E.O, Works Division- Jamui के पत्रांक–238 दिनांक–09.06.2021 से निर्गत है। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल बथनाहा, द्वारा अपने पत्रांक–1582 दिनांक–19.10.2024 से इसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, L.A.E.O, Works Division- Jamui से कराया गया। कार्यपालक अभियंता, L.A.E.O, Works Division- Jamui द्वारा अपने पत्रांक–3002 दिनांक–19.10.2024 से सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत कार्यानुभव प्रमाणपत्र पत्रांक–238 दिनांक–09.06.2021 उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है।

संवेदक द्वारा अपने प्रत्युत्तर में कहा गया कि यह गलती उनके एक कर्मी के द्वारा की गई जिसे उन्हें तत्कालिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया। साथ ही उनके द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त से प्रमाणित हो जाता है कि संवेदक द्वारा निविदा के साथ फर्जी/जाली कार्यानुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया गया था, जो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम 11 (क) (vii) के तहत वर्णित कदाचार की श्रेणी में आता है। उक्त कदाचार के लिए संवेदक को कालीसूची में डाले जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक YRBM & SONS, Pro.- SRI ABHISHEK KUMAR NAVRATAN HATTA, P.O+DIST-PURNIA, PIN-854301 (नि0सं0–WRD151020C2PR00053, द्वितीय श्रेणी) को उनके निबंधन के वैधता की तिथि–14.10.2025 तक के लिए काली–सूची में डाला जाता है।

ह0/–

(शरद कुमार)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक : ....पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपिः– SRI ABHISHEK KUMAR SINGH, Pro.- YRBM & SONS, NAVRATAN HATTA, P.O+DIST- PURNIA, PIN-854301 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :......3610......................../ पटना, दिनांक :....01.8.25..............

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग / कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/7/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।